फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

र्थी/वादी — अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

ाराम — बनाम — राज. सरकार वगैरह

स्म प्रकरण : प्रा.पत्र — मुकदमा नं. 094/2014

रिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
.01.2026	पत्रावली आज तारीख पेशी से गिर कर पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान को आवाजे लगवाई गईं। परन्तु कोई पक्षकारान/अधिवक्तागण हाजिर नहीं आये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण 2014 से लम्बित चल रहा है। प्रकरण के तारीख पेशी से गिर कर पेश होने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये उपस्थिति/सुनवाई हेतु अवसर पक्षकारान को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मिसल वास्ते उपस्थिति इन्तजार पक्षकार/अधिवक्ता दिनांक 30.01.2026 को पेश हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	
30.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर आज भी हाजिर। वकील प्रार्थी को आवाजे लगवाई गई। परन्तु आज भी वकील प्रार्थी गैर हाजिर रहे है। प्रकरण दिनांक 21.08.2014 से लम्बित चल रहा है। प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता पक्षकारान को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर उपस्थित नहीं आ रहे है ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारान अधिवक्ता उक्त प्रकरण आगे चलाने के इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली के तारीख पेशी से गिर पेश होने पर भी पैरवी में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है तथा ना ही बार–बार उपस्थिति हेतु अवसर दिये जाने पर उपस्थि नहीं आ रहे है। चूंकि प्रकरण का सम्मरी प्रोसेडिंग का होने के तहत भी प्रकरण में 12 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर प्रभावी पैरवी के अभाव में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	

Scanned with OKEN Scanner